आईएएस भी बतायेंगे संपत्ति

सरकार ने जारी किया आदेश, डेडलाइन 31 जनवरी

हिन्दुस्तान ब्यूरो
पटना

पहले मंत्री और अब आईएएस। 31 दिसम्बर तक मंत्री तो 31 जनवरी तक राज्य में तैनात आईएएस अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्योरा देंगे। इतना ही नहीं यह ब्योरा उन्हें हर साल देना होगा। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों के लिए यह आदेश मंगलवार को जारी कर दिया। खास बात यह है कि अधिकारियों को अपनी निजी संपत्ति के अलावा वैसी संपत्ति का भी ब्योरा देना होगा जिसे उन्होंने पत्नी, किसी संबंधी या दोस्त के नाम से अर्जित की हो।

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एक जनवरी 2010 तक अर्जित सभी संपत्ति का ब्योरा अधिकारियों को देना होगा। इसमें पैतृक और खुद के द्वारा खरीदी गई संपत्ति के अलावा लीज और पट्टे पर ली गई संपत्ति को भी शामिल करना है जिसकी तीन प्रतियां सरकार को देनी हैं। उपहार या दूसरे स्रोतों से प्राप्त संपत्ति का भी खुलासा करना होगा। दूसरी पारी की शुरुआत करते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गये अफसरों और राजनेताओं के मकान में स्कूल खोलने की घोषणा चुनाव के दौरान ही कर दी थी। राज्य की जनता ने उनपर भरोसा करते हुए अपार समर्थन दिया तो मुख्यमंत्री ने इसे अपने एजेंडे में सबसे टॉप पर रखा। सबसे पहले उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को संपत्ति का ब्योरा देने को कहा। उनके लिए अंतिम तारीख 31 दिसम्बर तय की गई। दूसरी कड़ी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार विरोधी तेवर को देखते हुए माना जा रहा है कि अगली कड़ी में भारतीय पुलिस सेवा के बिहार में तैनात अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा के साथ अन्य सेवा संवर्गों के अधिकारी और कर्मी भी संपत्ति का ब्योरा देने वालों में शामिल हो सकते हैं।

- अपने नाम की संपत्ति के अलावा पत्नी, दोस्त और संबंधियों के नाम अर्जित संपत्ति का भी देना होगा ब्योरा
- पैतृक और खुद के द्वारा खरीदी गई संपत्ति के अलावा लीज और पट्टे पर ली गई संपत्ति का भी ब्योरा देना होगा

डिजाइन : दिलीप के. मिश्र